



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बड़ौत

दिनांक 21.10.2026

थाना बड़ौत पुलिस, सर्विलांस सैल एवं स्वाट की संयुक्त टीम द्वारा थाने पर पंजीकृत मु0अ0सं0 735/26 धारा 103(1)/238 बीएनएस में प्रकाश में आए हत्यारोपी 01 अभियुक्त को घायल अवस्था में किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिंदा कारतूस एवं 01 खोखा कारतूस बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 19.10.2026 को थाना बड़ौत पर वादी श्री विनोद कुमार पुत्र मांगे राम, निवासी ग्राम कोताना, थाना बड़ौत, जनपद बागपत द्वारा लिखित तहरीर दी गई कि अभियुक्तों 1. मुकेश पुत्र रामपाल, 2. अंकित पुत्र प्रकाश, 3. पंकज पुत्र प्रकाश एवं 4. राहुल पुत्र सतपाल, निवासीगण अज्ञात द्वारा वादी के भाई प्रमोद पुत्र मांगे राम, उम्र करीब 50 वर्ष, की धारदार हथियार से हत्या कर शव को ईख के खेत में छिपा दिया गया । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 735/26 धारा 103(1)/238 बीएनएस पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक, बागपत के निर्देशन में जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 20.10.2026 को थाना बड़ौत पुलिस, सर्विलांस सैल एवं स्वाट की संयुक्त टीम मु0अ0सं0 735/26 धारा 103(1)/238 बीएनएस में हुई हत्या की घटना के सफल अनावरण हेतु प्रयासरत थी। संयुक्त टीम द्वारा घटना से जुड़े व्यक्तियों से पूछताछ की गई, जिससे महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई। प्राप्त जानकारी के आधार पर पुलिस टीम द्वारा प्रमोद की हत्या में संलिप्त प्रकाश में आए अभियुक्त सिकन्दर उर्फ कालू पुत्र जगदीश, निवासी ग्राम कोताना, थाना बड़ौत, जनपद बागपत तथा मृतक की पत्नी की तलाश शुरू की गई।

जांच के दौरान पुलिस टीम को सूचना प्राप्त हुई कि हत्या की घटना में प्रकाश में आया अभियुक्त सिकन्दर उर्फ कालू पुत्र जगदीश, निवासी ग्राम कोताना, थाना बड़ौत, जनपद बागपत, ग्राम लुहारी के जंगल में स्थित एक ट्यूबवेल पर बैठा है। सूचना पर थाना बड़ौत पुलिस, सर्विलांस सैल एवं स्वाट की संयुक्त टीम तत्काल बताए गए स्थान पर पहुंची। पुलिस टीम को देखकर अभियुक्त भागने लगा तथा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। इसके बाद पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी कार्यवाही में अभियुक्त घायल हो गया। पुलिस टीम द्वारा बिना किसी देरी के घायल अभियुक्त को गिरफ्तार कर उपचार हेतु सीएचसी बड़ौत भेजा गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर, एक जिंदा कारतूस एवं 01 खोखा कारतूस बरामद हुआ है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्त सिकन्दर उर्फ कालू पुत्र जगदीश, निवासी ग्राम कोताना, थाना बड़ौत, जनपद बागपत ने बताया कि वह मृतक प्रमोद उर्फ मोगली पुत्र मांगे राम की दुकान किराये पर लेकर बाइक रिपेयरिंग का कार्य करता था। इसी दौरान उसकी मृतक की पत्नी से जान-पहचान हो गई तथा धीरे-धीरे दोनों के बीच प्रेम संबंध स्थापित हो गए। करीब डेढ़ से दो वर्ष से दोनों चोरी-छिपे बड़ौत स्थित एक होटल में मिलते थे। मृतक के बेटे को इसकी जानकारी होने पर अभियुक्त ने उसके घर जाना बंद कर दिया, लेकिन मृतक की पत्नी से फोन के माध्यम से संपर्क बनाए रखा। पितृ पक्ष के दौरान मृतक की पत्नी ने अभियुक्त के साथ देहरादून जाकर रहने की इच्छा जताई तथा इसके लिए प्रमोद को रास्ते से हटाने की बात कही। इसके बाद दोनों ने प्रमोद की हत्या की योजना बनाई। दिनांक 18.10.2026 को मृतक की पत्नी ने अभियुक्त को अपने घर पर बुलाकर दो गोलियां दीं तथा उन्हें प्रमोद की शराब में मिलाकर उसे अधिक नशा होने पर उसकी हत्या करने के लिए कहा। इसके बाद अभियुक्त ने प्रमोद को प्राथमिक विद्यालय, कोताना के पास शराब का एक क्वार्टर दिया और उसे अपने ट्यूबवेल पर जाने के लिए कहा। अभियुक्त विककी की दुकान से खाने का सामान लेकर खेतों के रास्ते ट्यूबवेल पर पहुंचा। मृतक की पत्नी ने उसे सीसीटीवी कैमरों से बचने के लिए सड़क के रास्ते न जाने की हिदायत दी थी। ट्यूबवेल पर अभियुक्त ने प्रमोद की शराब में मृतक की पत्नी द्वारा दी गई गोलियां मिला दीं। इस दौरान वह व्हाट्सएप संदेशों के माध्यम से मृतक की पत्नी के संपर्क में रहा, जो उससे लगातार घटना के संबंध में पूछ रही थी। जब प्रमोद को नशा होने लगा, तो अभियुक्त ने उसे जमीन पर गिराने का प्रयास किया। विरोध करने पर अभियुक्त ने शराब की खाली बोतल से प्रमोद के सिर पर तीन-चार वार किए तथा बोतल टूटने के बाद उसके आधे टूटे हिस्से से भी प्रहार किया। प्रमोद के बेहोश हो जाने पर अभियुक्त उसे ट्यूबवेल से करीब 20-25 कदम दूर ईख के खेत में खींचकर ले गया। प्रमोद की मृत्यु होने की पुष्टि करने के बाद अभियुक्त वहां से चला गया। इसके बाद अभियुक्त रामलीला देखने चला गया। वहां पहुंचने पर

मृतक की पत्नी का व्हाट्सऐप संदेश आया, जिसमें उसने घटना के संबंध में पूछा। अभियुक्त ने घटना को अंजाम देने की पुष्टि की। मृतक की पत्नी द्वारा संदेश डिलीट किए जाने से पहले अभियुक्त ने कुछ संदेशों के स्क्रीनशॉट ले लिए थे। इसके बाद मृतक की पत्नी ने उसे ब्लॉक करने तथा आवश्यकता पड़ने पर स्वयं फोन करने की बात कही।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सिकन्दर उर्फ कालू पुत्र जगदीश निवासी ग्राम कोताना थाना बडौत बागपत ।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 735/26 धारा 103(1)/238 थाना बडौत जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध तमंचा .315 बोर, एक जिंदा कारतूस एवं 01 खोखा कारतूस ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-प्रभारी निरीक्षक श्री दीक्षित त्यागी थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 2- उ0नि0 श्री वैभव कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 3- उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार थाना बडौत बागपत ।
- 4- उ0नि0 श्री नकुल राठी थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 5- है0का0 366 अंकित थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 6- है0का0 633 रुस्तम थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 7- का0 406 रविन्द्र भाटी थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 8- का0 301 मुलायम थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 9- का0 399 राहुल चौहान थाना बडौत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना बडौत

दिनांक 21.10.2026

थाना बडौत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अवैध मादक पदार्थ तस्कर को किया
गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 01 किलो 500 ग्राम अवैध गांजा बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं अवैध मादक पदार्थ तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस ने एक अवैध मादक पदार्थ तस्कर को गिरफ्तार किया है। जिसके कब्जे से 01 किलो 500 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर मु0अ0स0

737/2026 धारा 8/20 एन.डी.पी.एस एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। अभियुक्त थाना बडौत पर पंजीकृत मु0अ0सं0 732/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट में भी वांछित था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

प्रवीण पुत्र हुकम सिंह उर्फ हुकमे निवासी ग्राम बिजरौल थाना बडौत जनपद बागपत उम्र करीब 32 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

- 01 किलो 500 ग्राम अवैध गांजा।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0स0 732/2026 धारा 8/20 एन.डी.पी.एस एक्ट थाना बडौत जनपद बागपत
2. मु0अ0स0 737/2026 धारा 8/20 एन.डी.पी.एस एक्ट थाना बडौत जनपद बागपत



गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ०नि० श्री राम कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।
2. उ०नि० मुकेश पाल सिंह थाना बडौत जनपद बागपत
3. है०का० 735 संदीप कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।
4. है०का० 678 योगेन्द्र कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।
5. है०का० 432 अनिल कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनांक 21.10.26

थाना बडौत पुलिस ने थाने पर पंजीकृत मु०अ०सं० 735/26 धारा 103(1)/238 बीएनएस से सम्बन्धित हत्या की घटना में शामिल एक महिला अभियुक्ता को किया गिरफ्तार, महिला अभियुक्ता के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक मोबाईल फोन बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 19.10.2026 को थाना बडौत पर वादी श्री विनोद कुमार पुत्र मांगे राम, निवासी ग्राम कोताना, थाना बडौत, जनपद बागपत द्वारा लिखित तहरीर दी गई कि अभियुक्तों 1. मुकेश पुत्र रामपाल, 2. अंकित पुत्र प्रकाश, 3. पंकज पुत्र प्रकाश एवं 4. राहुल पुत्र सतपाल, निवासीगण अज्ञात द्वारा वादी के भाई प्रमोद पुत्र मांगे राम, उम्र करीब 50 वर्ष, की धारदार हथियार से हत्या कर शव को ईख के खेत में छिपा दिया गया । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर मु०अ०सं० 735/26 धारा 103(1)/238 बीएनएस पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के दौरान थाना बडौत पुलिस द्वारा थाना हाजा पर पंजीकृत मु0अ0स0 735/2026 धारा 103(1),238 बीएनएस की घटना में वांछित चल रही महिला अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया है। महिला अभियुक्ता के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक मोबाईल फोन बरामद हुआ है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

बरामदगी का विवरण-

महिला अभियुक्ता के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक मोबाईल फोन बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री वैभव कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।
- 2-म0उ0नि0 कीर्ति थाना बडौत जनपद बागपत।
- 3-का0 406 रविन्द्र भाटी थाना बडौत जनपद बागपत।
- 4-म0का0 659 करुणा चाहल थाना बडौत जनपद बागपत।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 21.10.26

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने 01 जिलाबदर अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा जिलाबदर होने के उपरान्त भी मा0 न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए जिलाबदर की अवधि में जनपद की सीमा के अन्दर पाये जाने पर 01 जिलाबदर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है अभियुक्त वर्तमान में श्रीमान अपर जिला अधिकारी बागपत वाद संख्या 1087/2025 अन्तर्गत धारा 3/4 उ0प्र गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1970 के अन्तर्गत दिनांक 12.06.2026 से अग्रिम 06



माह तक जिला बदर है एवं थाना कोतवाली बागपत की सीमा में अपने घर पर मौजूद मिला है। अभियुक्त को उसके जुर्म धारा 3/10 गुंडा नियंत्रण अधिक 1970 के जुर्म से अवगत कराते हुए समय करीब 00.42 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया मौके पर ही गिरफ्तारी मीमो तैयार किया गया व मु0अ0सं0 722/26 धारा 3/10 उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधि0 पंजीकृत किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार जिलाबदर अभियुक्त का नाम व पता-

पुष्पेन्द्र उर्फ शिकारी उर्फ कल्लू पुत्र बिसम्भर नि0 ग्राम मीतली थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार जिलाबदर अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०सं० 1027/21 धारा 25/4 आयुध अधिनियम थाना बागपत
2. मु०अ०सं० 156/24 धारा 354(घ)/504/506 भादवि थाना बागपत
3. मु०अ०सं० 611/24 धारा 115(2)/351(2)/352 बीएनएस थाना बागपत
4. मु०अ०सं० 722/26 धारा 3/10 उ०प्र० गुण्डा नियंत्रण अधि० थाना बागपत

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ०नि० श्री सीमा सिंह थाना बागपत जनपद बागपत ।
- 2- का० 369 विशाल पंवार थाना बागपत जनपद बागपत ।





प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 21.10.2026

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने चैकिंग के दौरान पशु क्रूरता अधिनियम में 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से पशु अवशेष व पशु काटने के औजार 02 छुरी व एक दाव व एक सीक बरामद ।

संक्षिप्त विवरण:--

जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं पशु तस्करो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है जिनके कब्जे से पशु अवशेष व पशु काटने के औजार 2 छुरी व एक दाव तथा एक सीक बरामद हुई है।

उक्त बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 723/26 धारा 3/11 पशु क्रूरता अधि0 पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1. मुन्तियाज पुत्र रफीक निवासी मौ0 केतीपुरा कस्बा व थाना बागपत जिला बागपत उम्र करीब 55 वर्ष
2. गुफरान पुत्र हनीफ निवासी मौ0 केतीपुरा एक मीनार मस्जिद के पास कस्बा बागपत थाना व जिला बागपत उम्र 25 वर्ष

बरामदगी का विवरण-(अभि0गण से बरामद)

- अवशेष व मांस भैस प्रजाति व पशु काटने के औजार 2 छुरी व एक दाव लोहा व एक सीक।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ०नि० श्री शारिक अली थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत
2. है०का० 435 आलोक कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत
3. है०का० 281 राकेश कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 21.10.2026

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु०अ०सं० 719/26 धारा 308(5)/351(2) बीएनएस में वांछित 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक मोबाइल फोन व एक गमछा बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 20.10.2026 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी दीपक पुत्र महिपाल निवासी अग्रवाल मण्डी टटीरी थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अज्ञात अभियुक्त द्वारा वादी के साले प्रवीण पुत्र मिन्टूरी निवासी ग्राम सलावतपुर खेड़ी थाना खेकड़ा जिला बागपत उम्र करीब 23 वर्ष के मोबाइल नम्बर 7302613260 से वादी की पत्नी पूजा के मोबाइल नम्बर 7217303171 पर फोन करके बारकोड पर 25000 रुपये की रंगदारी माँगना , नहीं देने पर प्रवीण की जबरदस्ती बनायी गयी न्यूड विडियो को वायरल करने व जान से मारने



की धमकी देना। प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 719/26 धारा 308(5) बीएनएस पंजीकृत किया गया दौरान ए विवेचना धारा 351(2) बीएनएस बढ़ाई गयी।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं /वांछित अभियुक्तों/ की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 719/26 धारा 308(5)/351(2) बीएनएस से सम्बन्धित प्रकाश में आये 03 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक मोबाइल फोन व एक गमछा बरामद हुआ है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1.विकल पुत्र राजू निवासी गौरीपुर थाना कोतवाली बागपत उम्र करीब 19 वर्ष
2. सुमित पुत्र महेश निवासी गौरीपुर थाना कोतवाली बागपत उम्र करीब 26 वर्ष
3. सनी पुत्र बिजेन्द्र निवासी गौरीपुर थाना कोतवाली बागपत उम्र करीब 23 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

- घटना में प्रयुक्त एक फोन।
- एक गमछा

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

- 1-उ0नि0 श्री आलोक तोमर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 2-का0 976 लवकुश थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 3-का0 429 प्रदीप कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 4-सहचा0 का0 129 दुष्यन्त थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत दिनांक 21.10.2026

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0स0 619/26 धारा
126(2)/190/191(2)/191(3)/352/115(2)/ 109(1)/324(4)/61(2)/117(2)
बीएनएस मे वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 16.09.2026 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी श्री करतार सिंह पुत्र रामफल निवासी निरोजपुर गुर्जर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों द्वारा वादी के पुत्र कुनाल व गाँव के संदीप पुत्र कृष्ण व विकास पुत्र नेपाल का रास्ता रोककर हाथ में लिए लाठी डण्डे व लोहे के पंच से जानलेवा हमला करना मारपीट करना तथा हाथ में ली पिस्टल से जान से मारने के लिए फायर करना व जान से मारने की धमकी देना । प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कोतवाली



बागपत पर मु0अ0स0 619/26 धारा 126(2)/190/191(2)/
191(3)/352/115(2)/109(1)/324(4)/61(2)/117(2) बीएनएस विरुद्ध पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद मे अपराधों की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0स0 619/26 धारा 126(2)/190/191(2)/191(3)/352/115(2)/109(1)/324(4)/61(2)/117(2)

बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. अभिषेक पांचाल उर्फ गोलू पुत्र नरेश निवासी ग्राम गाधी थाना व जिला बागपत उम्र 22 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री मंजीत सिंह थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत

2- 62 अरीब थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत



BAGHPAT POLICE



थाना बिनौली साइबर टीम , जनपद बागपत

अक्टूबर- 2026

थाना बिनौली साइबर टीम, जनपद बागपत के द्वारा माह अक्टूबर-2026 में आवेदक/पीडित से ऑनलाइन धोखाधड़ी की धनराशि कुल -29,70/- रुपये वापस कराये गये-

आवेदक/पीडित श्री सनीष तोमर पुत्र आन्नद सिंह निवासी ग्राम रंछाड थाना बिनौली जनपद बागपत के खाते से किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा आनलाइन 29,70 रुपये की धोखाधड़ी कर ली थी, जिसके सम्बन्ध में आवेदक ने NCRP पोर्टल पर दर्ज करायी, जिसका ACK. NO-33110260290027 है, शिकायत प्राप्त होने पर **थाना बिनौली साइबर टीम** द्वारा शिकायत का तत्काल संज्ञान लेते हुए त्वरित विधिक कार्यवाही की गयी। पीडित के बैंक खाते से आनलाइन धोखाधड़ी की सम्पूर्ण धनराशि 29,70 रुपये को वापस कराया गया।

आवेदक/पीडित को रुपये वापस मिलने पर थाना बिनौली पुलिस की प्रशंसा करते हुए आभार व्यक्त किया गया ।



क्र०सं०	नाम थाना	प्रा०पत्र सं०	वापस करायी गयी धनराशि
1	बिनौली	33110260290027	29,70 रुपये

आवेदक/पीडित को रुपये वापस कराने वाली टीम:-

1-प्र० नि० श्री जितेन्द्र कुमार थाना बिनौली बागपत।

2-उ०नि० श्री पुलकित सिंह राहल थाना बिनौली बागपत।

3-है०का० 801 सावन कुमार थाना बिनौली बागपत।

4-म०का० 650 साधना थाना बिनौली बागपत।

